न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार

अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-800015

दूरभाष सं0-0612-2215041, email - Courtscdbihar@gmail.com, Website : scdisabilities.org

पत्रांक-370/आ.नि.श. दिनांक-05...मार्च'2021

नोटिस-पत्र,

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-82 के अन्तर्गत

वाद सं0-69/2021

नरकटियागंज पिपरा मुख्य सड़क में बेलवा स्थित तीखे मोड़ की सड़क को वाहन परिचालन हेतु उपयुक्त बनाने के संबंध में स्वतः संज्ञान। .... वादी

बनाम

(1) कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)।
(2) संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(3) अंचलाधिकारी गौनाहा, प्रखंड-गौनाहा, पश्चिमी चम्पारण।
(4) प्रखंड विकास पदाधिकारी, गौनाहा, प्रखंड-गौनाहा, पश्चिमी चम्पारण।
(5) अनुमंडल [illegible] पदाधिकारी, नरकटियागंज, पश्चिमी चम्पारण।
(6) जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)।

.....................प्रतिवादी

प्रकरण:- **नरकटियागंज पिपरा मुख्य सड़क में बेलवा स्थित तीखे मोड़ स्थित सड़क को वाहन परिचालन हेतु उपयुक्त बनाने के संबंध में।**

वाद उक्त प्रकरण में 'दैनिक भास्कर', पटना दिनांक-16 मार्च, 2021 को प्रकाशित समाचार (प्रतिसंलग्न) का संदर्भ देते हुए उल्लेख करना है कि नरकटियागंज पिपरा मुख्य सड़क में बेलवा स्थित मोड़ पर सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में उक्त घटना के साथ ही अन्य अवसरों पर दुर्घटनाओं के घटित होने की सूचना प्राप्त हुई है।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा- 80 एवं 82 के अंतर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना दिव्यांगजनों से अधिकारों व उपलब्ध सुरक्षापायों से संबंधित मामले में समुचित प्राधिकारियों को निदेशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहण के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

उक्त मोड़ स्थित सड़क के वाहन परिचालन हेतु आवश्यक सुधार निर्माण कार्य कराते हुए कृत कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ निर्धारित सुनवाई की तिथि को उस कार्यालय में उपस्थित है।

उपरोक्तनुसार एतद् द्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि, आप स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना, पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-800015 के समक्ष दिनांक-16.04.2021, को समय-12:00 बजे पूर्वा0 में प्रश्नगत दावे का उत्तर देने हेतु उपस्थित हों। आपको यह भी निर्देश दिया जाता हैं कि, आप अपने बचाव में जो दस्तावेज/अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो उसकी एक प्रति वादी/वादियों को भी उपलब्ध कराएँ।

अनुलंग्नक-यथोक्त।

न्यायालय राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, बिहार, पटना
संलग्न...............

12/03/2021

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

Scanned with CamScanner